

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर (म.प्र.)

संशोधन आदेश

क्रमांक / ७ / सी.जे.एम. / 24

जबलपुर, दिनांक-06.01.2024

मैं आलोक प्रताप सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर माह जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश के दिनों में 03:00 बजे से 05:00 बजे तक रिमाण्ड कार्य निष्पादित करने हेतु पूर्व में जारी आदेश क्र. 107/सी.जे.एम./23 जबलपुर दिनांक- 11.12.2023 में प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता हूँ, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा एवं शेष आदेश यथावत रहेगा-

सिहोरा न्यायालय

क्रं	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	दिनांक
1	श्रीमती सविता ठाकुर, जे.एम.एफ.सी.	13.01.2024 14.01.24 15.01.24
2	सुश्री उर्वशी यादव, जे.एम.एफ.सी.	26.01.2024

पाटन न्यायालय

क्रं	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	दिनांक
1	श्री दशरथ सिंह भिडे, जे.एम.एफ.सी.	13.01.2024 14.01.2024
1	श्री रवि साहू, जे.एम.एफ.सी.	21.01.2024 28.01.2024

(आलोक प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर

प्रतिलिपि-

- 1- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- श्री न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर/सिहोरा/पाटन।
- 3- अध्यक्ष/सचिव जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर एवं जिला अभियोजन अधिकारी जबलपुर।
- 4- जिला नाजिर जबलपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- जूनियर सिस्टम एंनलिसिस जबलपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

(आलोक प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर